



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 33]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 19, 2010/पौष 29, 1931

No. 33]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 19, 2010/PAUSA 29, 1931

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जनवरी, 2010

सा.का.नि. 40(अ).—सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 (2003 का 34) की धारा 31 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और शैक्षिक संस्थाओं के आस-पास सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पादों पर प्रतिबंध नियमावली, 2004 के अधिक्रमण में उन बातों के सिवाय जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है अथवा करने से लोप किया गया है, केन्द्र सरकार एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का नाम सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (शैक्षिक संस्थाओं द्वारा बोर्ड प्रदर्शित करना) नियमावली, 2009 है।

(2) ये पूरे भारत पर लागू होंगे।

(3) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.—(1) इन नियमों में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो;—

(क) “अधिनियम” से सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति एवं वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 (2003 का 34) अभिप्रेत है;

(ख) “शैक्षिक संस्थाओं” से कोई भी ऐसा स्थान/केन्द्र अभिप्रेत है जहां विशिष्ट मानदंडों के अनुसार शैक्षिक पढ़ाई कराई जाती है और इनमें एक उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा स्थापित अथवा मान्यताप्राप्त कोई भी स्कूल, कालेज अथवा उच्चतर शिक्षण की संस्थाएं शामिल हैं;

(2) इसमें प्रयुक्त और इन नियमों में परिभाषित न किए गए अपितु अधिनियम में परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्ति का अर्थ उन्हें अधिनियम में क्रमशः दिया गया अर्थ होगा।

3. शैक्षिक संस्थाओं द्वारा बोर्ड का प्रदर्शन.—(1) शैक्षिक संस्था के कार्यकलापों का मालिक अथवा प्रबंधक अथवा प्रभारी कोई व्यक्ति परिसरों के बाहर मुख्य स्थान (स्थानों) पर एक बोर्ड प्रदर्शित करेगा जिस पर सुस्पष्ट रूप से यह लिखा होगा कि शैक्षिक संस्था के 100 गज के दायरे के भीतर आने वाले क्षेत्र पर सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पादों की बिक्री प्रतिबंधित है और यह धारा 24 के अंतर्गत जुर्माने, जिसे बढ़ाकर दो सौ रुपये तक किया जा सकता है, के साथ एक दंडनीय अपराध है।

(2) उप-नियम (1) में संदर्भित 100 गज की दूरी को शैक्षिक संस्था की चार दीवारी बाड़ अथवा जैसा भी मामला हो, की बाहरी सीमा से त्रिज्य के आधार पर मापा जाएगा।

[फा. सं. पी.-16017/72/2007-पी.एच.-1]

वी. वेंकटाचालम, अपर सचिव